



436/1

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 10383 / 28/76/एक/2018-19
सेवा में,

दिनांक : 07 जनवरी 2019

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-लखनऊ।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
आई०डी०बी०आई बैंक	0277104000181624	IFSC Code IBKI0000277	196.277

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्जेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
1	लखनऊ	मु०अ०-37	न० नि० लखनऊ	न्यू हैदरगंज वार्ड के अन्तर्गत बादशाह खेड़ा में पुतान के मकान से ठाकुर जी के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	10.125	100%
2	लखनऊ	मु०अ०-37	न० नि० लखनऊ	न्यू हैदरगंज वार्ड के अन्तर्गत बादशाह खेड़ा में सत्य नारायण के मकान से ठाकुर जी के मकान होते हुए आशा मौर्य के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	14.547	100%
3	लखनऊ	मु०अ०-37	न० नि० लखनऊ	न्यू हैदरगंज वार्ड के अन्तर्गत बादशाह खेड़ा में बादशाह खेड़ा में राहित पण्डित के मकान से राजेन्द्र कुमार के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	8.425	100%
4	लखनऊ	मु०अ०-37	न० नि० लखनऊ	न्यू हैदरगंज वार्ड के अन्तर्गत बादशाह खेड़ा में कौशल किशोर के मकान से रोहित के मकान होते हुए भुईयन देवी मन्दिर तक एवं राम प्रकाश चौरसिया के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	8.283	100%
5	लखनऊ	मु०अ०-37	न० नि० लखनऊ	न्यू हैदरगंज वार्ड के अन्तर्गत बादशाह खेड़ा में महेश लोधी के मकान से भुईयन देवी मन्दिर तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	8.434	100%
6	लखनऊ	मु०अ०-37	न० नि० लखनऊ	हैदरगंज वार्ड के अन्तर्गत बादशाह खेड़ा में एस०डी० पब्लिक स्कूल से कल्लू के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	8.479	100%



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
7	लखनऊ	मु०अ०-37	न० नि० लखनऊ	हैदरगंज वार्ड के अन्तर्गत आदर्श विहार में सर्वेश के मकान से अमर त्रिपाठी के मकान होते हुए अजय द्विवेदी के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	9.858	100%
8	लखनऊ	मु०अ०-37	न० नि० लखनऊ	हैदरगंज वार्ड के अन्तर्गत आदर्श विहार में पवन यादव के मकान से अभिषेक श्रीवास्तव एवं रविन्द्र के मकान से संतोष के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	9.102	100%
9	लखनऊ	मु०अ०-37	न० नि० लखनऊ	न्यू हैदरगंज वार्ड के अन्तर्गत जानकी विहार बादशाह खेड़ा में छोटे लाल गुप्ता के मकान से राम चन्द्र गुप्ता के मकान होते हुए ननके के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	12.554	100%
10	लखनऊ	मु०अ०-37	न० नि० लखनऊ	हैदरगंज वार्ड के अन्तर्गत आदर्श विहार कालोनी में दीनानाथ दुबे के मकान से भानू प्रताप व अनीस के मकान होते हुए शालिनी पाण्डेय के मकान तक सड़क नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	11.041	100%
11	लखनऊ	मु०अ०-37	न० नि० लखनऊ	हैदरगंज वार्ड के अन्तर्गत आदर्श विहार कालोनी में गोविन्द के मकान से नदीम के मकान तक अतुल बुक सेन्टर से राधे लाल के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	10.178	100%
12	लखनऊ	मु०अ०-37	न० नि० लखनऊ	हैदरगंज वार्ड के अन्तर्गत आदर्श विहार में कैलाश दीक्षित के मकान से रामू पण्डित के मकान, प्यारे लाल के मकान से अशोका देवी व लाला राम के मकान से सुनील राय के मकान तक नाली सड़क।	10.107	100%
13	लखनऊ	मु०अ०-37	न० नि० लखनऊ	हैदरगंज वार्ड के अन्तर्गत आदर्श विहार कालोनी में वर्षा रोस्ट हाउस से गोविन्दा चार्य के मकान तक व अशोक मिश्रा के मकान से विमलेश के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	11.824	100%
14	लखनऊ	मु०अ०-37	न० नि० लखनऊ	हैदरगंज वार्ड के अन्तर्गत आदर्श विहार कालोनी में लालू प्रजापति के मकान से सुशील सिंह के मकान तक एवं नवीन यादव के मकान से मिश्री लाल के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	13.488	100%
15	लखनऊ	मु०अ०-37	न० नि० लखनऊ	हैदरगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत आदर्श विहार में प्यारे लाल के मकान से मौर्या के मकान होते हुए शंकर कनौजिया के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	9.458	100%
16	लखनऊ	मु०अ०-37	न० नि० लखनऊ	हैदरगंज वार्ड के अन्तर्गत बादशाह खेड़ा में हनुमान मन्दिर से संतोष के मकान होते हुए आशा राम मौर्या के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	6.397	100%



436/3

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
17	लखनऊ	मु०अ०-37	न० नि० लखनऊ	हैदरगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत बादशाह खेड़ा में शिवसरन मौर्य के मकान से सालिक राम लोधी के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	7.669	100%
18	लखनऊ	मु०अ०-37	न० नि० लखनऊ	हैदरगंज वार्ड के अन्तर्गत आदर्श विहार में अमोल सिंह के मकान, कौशल के मकान से झब्बू श्रीवास्तव के मकान तक एवं सत्यम के मकान से रीता चौहान के मकान तक सड़क नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	8.968	100%
19	लखनऊ	मु०अ०-37	न० नि० लखनऊ	हैदरगंज वार्ड के अन्तर्गत आदर्श विहार में राम आसरे के मकान से प्रिन्स के मकान होते हुए हरदेव सिंह के मकान तक नाली सड़क व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	9.698	100%
20	लखनऊ	मु०अ०-37	न० नि० लखनऊ	हैदरगंज वार्ड के अन्तर्गत आदर्श विहार में अनुष्का जनरल स्टोर से अशोक असानी के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	7.642	100%
	योग				196.277	

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।



436/4

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजनाओं में अवमुक्त की गई धनराशि में से अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक